

प्रपत्र

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संबंध में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1

लखनऊ : दिनांक : 30 2011

विषय- समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या- सी- 1711/निद0म0क0/प्राव0 /2010-11 दिनांक 28 नवम्बर, 2010, पत्र संख्या- सी- 1835/निद0म0क0/प्राव0/2010-11 दिनांक 17 जनवरी, 2011 तथा शासन के पत्र संख्या- 235/60-10-1/13(71)/06, दिनांक 01 फरवरी, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संदर्भित याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के 06 मेट्रोपोलिटन शहरों लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी व मरठ में 25 बच्चों की क्षमता के दो-दो खुले आश्रय गृह तथा जनपद अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद जनपदों में भी एक-एक खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या- 839/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में खुले आश्रय गृह हेतु संस्थाओं का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करत हुए प्रस्ताव दिनांक 20-03-2011 तक निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश का उपलब्ध करान तथा शेष अन्य जनपदों में आवश्यकता के आधार पर 25 बच्चों की क्षमता वाले खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित करत हुए प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गयी थी।

3- उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार सक्षम संस्थाओं के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव, निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे परन्तु खुले आश्रय गृहों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। खुले आश्रय गृह को धनव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ करने हेतु पुनः निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

महोदय
(Signature)
बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1274/60-1-10-1/13(71)/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु शेषित-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा में
(Signature)
निदेशक

समाविष्ट राज्यपत्रा क पत्र व स्थानक संख्या:

क्र.सं.	वस्तु वस्तु	स्थानक संख्या	प्रकार	विवरण
समाविष्ट राज्यपत्रा क पत्र (विस्तार)				
1	सुपुल	75	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
2	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा (सुपुलपत्रा क सुपुलपत्रा)
3	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
4	सुपुल	75	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
5	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
6	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
7	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
8	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
9	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
10	सुपुल	75	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
11	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
12	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
13	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
14	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
15	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
16	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
17	सुपुल	50	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
	सुपुल	845		
समाविष्ट राज्यपत्रा क पत्र (विस्तार)				
18	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
19	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
20	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
21	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
22	सुपुल	30	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
	सुपुल	150		
समाविष्ट राज्यपत्रा क पत्र (विस्तार)				
23	सुपुल	200	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
24	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
25	सुपुल	200	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
26	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
27	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
28	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
29	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
30	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
31	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
32	सुपुल	100	विस्तार	सुपुल क सुपुलपत्रा
	सुपुल	1200		